

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाडी

मु.नं: ११/२०१०

निर्णय दिनांक २५/०१/२०१०

उनवान:- *गणेश/डिरगोई*

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का *सर्वगाव* ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर *६९३/५९६* रकबा *१-१५ बीघा* किस्म *चाणगाह*

बारे ग्राम *काडकडा* पर *श्रीमती डिरगोई* पुत्र *कोहरसिंह*

जाति *कोष* निवासी *काडकडा* तहसील *बाडी*

ने सम्बर *२०२५* रबी/खरीफ में फसल *गेहूँ* कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि१९५६की धारा ९१ एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी *श्री* आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी *श्रीमती डिरगोई* पुत्र *कोहरसिंह*

जाति *कोष* निवासी *काडकडा* को आ. ख. नं. *६९३/५९६*

रकबा *१-१५ बीघा* वारे ग्राम *काडकडा* से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का ५० गुना शास्ती राशि *३९५* (अक्षरे

रुपये *३९५* आरोपित की जाती है। पैन्लटी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक २५/०१/२०१० को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

पुष्प
तहसीलदार
तहसील बाडी (मौजपुर) राज

३९५ - ५
२५/१/१०